राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1545/2011/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रतन कंडक्टर्स,
रोड नं.–17, वी.के.आई.ए., जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री रमेश गुप्ता,
अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 183/अपील्स–चतुर्थ/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 28.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे **"संशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति रूपये 3,15,000/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 09.10.2009 को वाहन संख्या आरजे14–2जी–8759 को रोक कर चैक किया गया। सशक्त अधिकारी के मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से सशक्त अधिकारी के संदेह पर माल चैक किया गया। माल के साथ कॉपर वायर 2973 किलो मिला, जिसके संबंध में घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 4888685 डुप्लीकेट एवं ऑरिजनल पाया जिसमें तिथि, माह व कीमत पंच नहीं की हुई थी एवं पार्ट सी में वाहन संख्या एच.आर.–29बी–1047, एच.आर.39–बी–1965 एवं आर.जे.14–2जी–8759 अंकित है। प्रस्तुत वैट–47 में अनियमिततायें एवं अपूर्ण पाये जाने पर वाहन को कॉपर वायर सहित अधिनियम की धारा 76(5)(ए) के तहत् निरूद्ध किया। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश किया गया। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा आयातित माल कॉपर वायर 2973 किलो की घोषित कीमत रूपये 10,50,000/– पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रूपये 3,15,000/–

लगातार.....2

आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.12.2010 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वैट–47 घोषणा प्रपत्र में अंकित वाहन संख्या एच.आर.–39–बी–1047 में प्रारम्भ में माल लोड कराया, इसने ट्रांसपोर्ट कम्पनी पर माल उतार दिया। ट्रांसपोर्ट कम्पनी ने इस माल को एच.आर.–39–बी–1965 में लोड करा दिया, यह वाहन रास्ते में खराब हो गया। तदुउपरान्त माल पल्टी करके वाहन संख्या आर.जे.–14–2जी–8759 में लदान होकर आया। इस कारण वैट–47 पर 3 वाहनों के नम्बर अंकित थे। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने यह माल जॉब वर्क के लिए दिल्ली के प्रेषक को भेजा था उसके वापस आने पर वैट–47 की आवश्यकता भी नहीं थी। अपने तर्क के समर्थन में उन्होने कर बोर्ड द्वारा पूर्व पारित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन झुंझुंनू बनाम मै0 जाजू एजेन्सीज, मेड़तासिटी निर्णय दिनांक 11.03.2015 व सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाड़ी बनाम मै0 यूनिर्वसल एलॉयज भिवाड़ी निर्णय दिनांक 11.11.2010 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए बताया कि जॉब वर्क के माल पर वैट–47 की आवश्यकता नहीं होती है। अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। परिवहनित माल प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा जॉब वर्क हेतु दिल्ली क़ो भेजा गया था तथा यह माल जॉब वर्क किया जाकर वापिस दिल्ली से प्रत्यर्थी व्यवहारी को भिजवाया जा रहा था, जिसमें परिवहन के दौरान सशक्त अधिकारी के द्वारा बिना जांच के वैट–47 को अपूर्ण मानते हुए शास्ति का आरोपण कर दिया। इसके अतिरिक्त कर बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार जॉब वर्क के माल पर वैट–47 घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। अपीलीय अधिकारी का आदेश स्पष्ट है, एवं विस्तृत कारणों सहित दिया गया है, जो उचित है। अतः उसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाता है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)